[2020] 5 एस.सी.आर. 860

श्री एंथोनी उर्फ एंथोनी स्वामी

बनाम

प्रबंध निदेशक, के.एस.आर.टी.सी.

(सिविल अपील संख्या 2551/2020) जून 10, 2020

[आर.एफ.नरीमन, नवीन सिन्हा और बी. आर. गवई, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988- मुआवजा- स्थायी शारीरिक कार्यात्मक विकलांगता - अपीलकर्ता प्रतिवादी निगम की बस में यात्रा करते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गया , जब बस चालक ने एक लॉरी को पीछे से टक्कर मार दी - अपीलकर्ता का बायां पैर काटना पड़ा- ट्रिब्यूनल ने 4,08,850/- रुपये का मुआवजा दिया - उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाकर 5,10,350/- रुपये कर दिया गया- अपीलकर्ता द्वारा अपील पर यह तर्क देते हुए कि मुआवजा पूरी तरह से अपर्याप्त है, माना गया: पी0 डब्लू0-03- डॉक्टर ने अपीलकर्ता के बाएं पैर की शारीरिक कार्यात्मक विकलांगता का 75% और कुल शारीरिक विकलांगता का 37.5% आकलन किया था- उच्च न्यायालय ने पूरे शरीर की केवल 25% शारीरिक विकलांगता का आकलन किया- यदि 75% शारीरिक विकलांगता ने अपीलकर्ता को चित्रकार या किसी समान कार्य के अपने सामान्य व्यवसाय को करने से स्थायी रूप से अक्षम कर दिया है , तो यह पूरे शरीर की विकलांगता के अनुपात में उसे मुआवज़ा देना मुश्किल है - मुआवज़े की पुनर्गणना 11,97,350/- रु. पर 6% ब्याज के साथ याचिका की तिथि से प्राप्ति तक की गई।

न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए,

कहा : 1.1 पी0 डब्लू0-03 ने अपीलकर्ता के बाएं पैर की शारीरिक कार्यात्मक विकलांगता का 75% और कुल शारीरिक विकलांगता का 37.5% आंका था। हाई कोर्ट ने शारीरिक विकलांगता का आकलन पूरे शरीर के 25% हिस्से पर ही करना उचित माना। प्रतिशत में इस कमी के लिए कोई चर्चा नहीं की गई है, अपीलकर्ता द्वारा झेली गई स्थायी कार्यात्मक विकलांगता की प्रकृति पर तो बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। यदि 75% शारीरिक विकलांगता ने अपीलकर्ता को अपने सामान्य व्यवसाय या किसी समान कार्य को करने से स्थायी रूप से अक्षम कर दिया है, तो पूरे शरीर की विकलांगता के अनुपात में उसे मुआवजा दिए जाने को समझना मुश्किल है। अपीलकर्ता को उसकी 75% स्थायी शारीरिक कार्यात्मक विकलांगता के आधार पर भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार माना जाता है, जिसकी पुनर्गणना 5,500/-

860 श्री एंथनी उर्फ एंथोनी स्वामी बनाम
प्रबंध निदेशक, के.एस.आर.टी.सी.

रुपये के वेतन के साथ 14 का गुणक रु. 6,93,000/-. उच्च न्यायालय ने भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए केवल 50,000/- रुपये की राशि देने में भी गलती की। पी0डब्लू0-03 ने बताया कि अपीलकर्ता को अपने जीवनकाल के दौरान कृत्रिम बाएँ पैर के तीन और प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी। इसे उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि के अतिरिक्त 2,50,000/- रुपये बढ़ाया गया है। सुविधाओं के नुकसान के लिए दिए गए मुआवजे को भी बढ़ाकर 50,000/- रुपये कर दिया गया है, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता को पी0डब्लू0-3 द्वारा बताए गए अनुसार सामाजिक मिश्रण से वंचित किया गया था। तदनुसार , उच्च न्यायालय के संशोधित पुरस्कार का भुगतान याचिका की तारीख से वसूली तक 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ किया जाना है। [पैरा 12, 14][863-डी-एच; 866-जी; 867-बी-सी]

राज कुमार बनाम अजय कुमार और एक अन्य (2011) एससीसी

343: [2010] 13 एससीआर 179; नागराजप्पा बनाम मंडल प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2011) 13 एससीसी 323: [2011] 6 एससीआर 70- पर भरोसा किया।

केस लॉ रेफरेंस [2010] 13 एससीआर 179 ने पैरा 10 [2011] 6 एससीआर 70 और पैरा 11 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार पर निर्भर है: 2020 की सिविल अपील संख्या 2551/2012

एम.एफ.ए. संख्या 843/2012 (एमवी) में बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19.07.2016 से।

अश्विन कोटेमथ, श्रीमती एस. उषा रेड्डी, एस.एन. भट्ट, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय का निर्णय नवीन सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. छुट्टी स्वीकृत।

2. अपीलकर्ता मोटर दुर्घटना मामले में उसे दिए गए मुआवजे की अपर्याप्तता का दावा करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित है।
3. अपीलकर्ता प्रतिवादी निगम की एक बस में यात्रा कर रहा था और 19.02.2010 को बस चालक की तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना का शिकार हो गया,

जिसने पीछे से एक लॉरी को टक्कर मार दी। लगी चोटों के परिणामस्वरूप , अपीलकर्ता का बायाँ पैर काटना पड़ा। ट्रिब्यूनल ने 4,08,850/- रुपये का मुआवजा दिया। अपील में उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर 5,10,350/- रूपये कर दिया। प्रतिवादी निगम द्वारा की गई अपील खारिज कर दी गई।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री अश्विन कोटेमथ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया मुआवजा मामूली और चोटों की प्रकृति को देखते हुए बेहद अपर्याप्त है। अपीलकर्ता पेशे से चित्रकार था। उनकी दैनिक आय रु. 300/- थी, जो कुल मिलाकर रु. 9,000/- प्रति माह थी, जो उनके नियोक्ता पी0 डब्लू0-2 के साक्ष्य द्वारा समर्थित है, जिसे गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है। इलाज करने वाले डॉक्टर डॉ0 एस. रामचन्द्र, पी0 डब्लू0-3 के साक्ष्य के विपरीत अपीलकर्ता की स्थायी विकलांगता, चोट की प्रकृति के आधार पर बिना किसी कारण के पूरे शरीर के 25% हिस्से पर गलत तरीके से तय की गई है। अपीलकर्ता को होने वाली पीड़ा, भविष्य में चिकित्सा उपचार और भविष्य में होने वाली आय की हानि।

5. श्री एस.एन. प्रतिवादी के विद्वान वकील भट्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मुआवजे में उचित वृद्धि की है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता ठोस साक्ष्य के साथ दावा की गई आय को प्रमाणित करने में विफल रहा। विकलांगता की सीमा का पर्याप्त आकलन किया गया है। नियोक्ता और इलाज करने वाले डॉक्टर के साक्ष्यों पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया है।

6. हमने पार्टियों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है। अपीलकर्ता को दुर्घटना की तारीख पर शुरू में सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन 25.02.2010 को एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वह 16.09.2010 तक एक रोगी के रूप में रहा और सर्जरी भी हुई, जिसमें उसके बाएं पैर को घुटने के ऊपर से काटना पड़ा। इलाज करने वाले डॉक्टर, पी0 डब्लू0-3 ने बताया कि अपीलकर्ता को क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के सक्रिय संक्रमण के साथ बाएं पैर के टिबिया और फाइबुला के टाइप III 'बी' कम्प्यूटेड फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा था, जिससे दुर्गंध आ रही थी, जिसने उसे सार्वजनिक रूप से घुलने-मिलने और मिलने-जुलने से रोका था। विच्छेदन और कृत्रिम पैर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपीलार्थी के बाएं निचले अंग की शारीरिक विकलांगता 75% आंकी गई जो पूरे शरीर की लगभग 37.5% थी। पी0 डब्लू0-3 ने आगे कहा कि अपीलकर्ता का बायां निचला अंग 3 सेमी छोटा हो गया है। वह स्वतंत्र रूप से खड़ा नहीं हो सकता था या वॉकर या परिचारक की सहायता के बिना चल नहीं सकता था। अपीलकर्ता पालथी मारकर नहीं बैठ सकता, उकडू नहीं बैठ सकता या भारतीय शौचालय का उपयोग नहीं कर सकता।

श्री एंथोनी उर्फ एंथनी स्वामी बनाम
प्रबंध निदेशक, के.एस.आर.टी.सी. [नवीन सिन्हा, जे.]

वह सीढ़ियाँ चढ़-उतर नहीं सकता था। अपीलकर्ता पेंटिंग सहित कोई भी शारीरिक कार्य करने में असमर्थ था। अपीलकर्ता, जो 45 वर्ष का था, 65 वर्ष की औसत जीवन प्रत्याशा पर विचार करते हुए कम से कम आवश्यक होगी। उनके जीवनकाल में कृत्रिम अंग के तीन और प्रतिस्थापन हुए, जिनकी लागत लगभग 75,000 रुपये से 1,50,000/- रुपये के बीच आंकी गई थी।

7. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की मासिक आय बढ़ाकर 5,500/- रूपये कर दी। उन्हें दर्द और पीड़ा के लिए रु. 1,00,000/- और चिकित्सा व्यय के लिए रु. 7,350/- और परिचारक शुल्क के लिए रु. 21,000/- का पुरस्कार दिया गया है। इलाज की अवधि के दौरान कमाई की हानि को उच्च न्यायालय ने बढ़ाकर 66,000/- रूपये कर दिया है। परिवहन शुल्क के लिए 10,000/- रूपये का भुगतान किया गया है। हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।

8. बिना किसी तर्क के अपीलकर्ता की शारीरिक विकलांगता पूरे शरीर की 25% आंकी गई है जिससे हम सहमत होने में असमर्थ हैं। विकलांगता के कारण भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए दिया गया मुआवजा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में 2,31,000/- रुपये का मुआवजा पूरी तरह से अपर्याप्त माना जाता है, साथ ही भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए 50,000/- रुपये और सुविधाओं के नुकसान के लिए केवल 25,000/- रुपये का मुआवजा दिया जाता है।

9. पी0डब्लू0-3 ने अपीलकर्ता के बाएं पैर की शारीरिक कार्यात्मक विकलांगता 75% और कुल शारीरिक विकलांगता 37.5% आंकी थी। हाई कोर्ट ने शारीरिक विकलांगता का आकलन पूरे शरीर का 25% ही करना उचित माना है। प्रतिशत में इस कमी के लिए कोई चर्चा नहीं की गई है, अपीलकर्ता द्वारा झेली गई स्थायी कार्यात्मक विकलांगता की प्रकृति पर तो बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। मामले के तथ्यों में शारीरिक कार्यात्मक विकलांगता की सीमा पर इस तरह से विचार किया जाना चाहिए ताकि न्यायसंगत और उचित अनुदान दिया जा सके भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए अपीलकर्ता को मुआवजा। दुर्घटना की तिथि पर अपीलकर्ता की कमाई की क्षमता पूरी तरह से नकार दी गई है और कम नहीं हुई है। उन्हें चित्रकार के रूप में काम करने या कोई भी शारीरिक काम करने में स्थायी रूप से अक्षम कर दिया गया है। इसलिए भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए मुआवजा उचित और उचित होना चाहिए ताकि वह सम्मानजनक जीवन जी सके, न कि वह मुआवजा जो मायावी हो। यदि 75% शारीरिक विकलांगता ने अपीलकर्ता को अपने सामान्य व्यवसाय या

किसी समान कार्य को करने से स्थायी रूप से अक्षम कर दिया है , तो पूरे शरीर की विकलांगता के अनुपात में उसे मुआवजा दिए जाने को समझना मुश्किल है। इसलिए अपीलकर्ता को उसकी 75% स्थायी शारीरिक कार्यात्मक विकलांगता के आधार पर भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार माना जाता है, जिसे 5,500 रुपये के वेतन के साथ 14 के गुणक के साथ पुनर्गणना किया जाता है 6,93,000/- रुपये।

10. राज कुमार बनाम अजय कुमार और एक अन्य, 2011 (1) एससीसी 343 स्पष्ट रूप से स्थायी शारीरिक कार्यात्मक विकलांगता के मामलों में मुआवजे के अनुदान के सिद्धांतों को निम्नानुसार निर्धारित करता है: "10. जहां दावेदार को चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है, भविष्य की कमाई के नुकसान के मद में मुआवजे का आकलन उसकी कमाई क्षमता पर ऐसी स्थायी विकलांगता के प्रभाव और प्रभाव पर निर्भर करेगा। ट्रिब्यूनल को यांत्रिक रूप से स्थायी विकलांगता के प्रतिशत को आर्थिक हानि या नुकसान के प्रतिशत के रूप में लागू नहीं करना चाहिए। ज्यादातर मामलों में , आर्थिक नुकसान का प्रतिशत यानी, स्थायी विकलांगता से उत्पन्न होने वाली कमाई की क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, स्थायी विकलांगता के प्रतिशत से अलग होगा। कुछ न्यायाधिकरण गलत मानते हैं कि सभी मामलों में, स्थायी विकलांगता के एक विशेष बाहरी (प्रतिशत) के परिणामस्वरूप कमाई क्षमता का नुकसान होगा और परिणामस्वरूप, यदि प्रस्तुत साक्ष्य 45% को स्थायी विकलांगता के रूप में दिखाते हैं , तो यह माना जाएगा कि भविष्य की कमाई क्षमता में 45% की हानि हुई है। ज्यादातर मामलों में, कमाई क्षमता के नुकसान की सीमा (प्रतिशत) को स्थायी विकलांगता की सीमा (प्रतिशत) के बराबर करने पर या तो बहुत कम या बहुत अधिक मुआवजा मिलेगा। 11. ट्रिब्यूनल द्वारा जिस चीज का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है वह घायल की कमाई क्षमता पर स्थायी विकलांगता का प्रभाव है और आय के प्रतिशत के संदर्भ में कमाई क्षमता के नुकसान का आकलन करने के बाद, इसे पैसे के संदर्भ में मात्राबद्ध किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कमाई के नुकसान (निर्भरता के नुकसान को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक गुणक विधि को लागू करके) पर पहुंचा जा सके। हालाँकि, हम ध्यान दे सकते हैं कि कुछ मामलों में, साक्ष्य और मूल्यांकन की सराहना करने पर , ट्रिब्यूनल को पता चल सकता है कि स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, उस मामले में स्थायी विकलांगता के प्रतिशत के लगभग समान है। बेशक, ट्रिब्यूनल मुआवजे के निर्धारण के लिए उक्त प्रतिशत को अपनाएगा। (उदाहरण के लिए, अरविंद कुमार मिश्रा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यादव कुमार बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले देखें)

XXXX XXXX XXXX

श्री एंथोनी उर्फ एंथनी स्वामी बनाम
प्रबंध निदेशक, के.एस.आर.टी.सी. [नवीन सिन्हा, जे.]

13. वास्तविक कमाई क्षमता पर स्थायी विकलांगता के प्रभाव का पता लगाने में तीन चरण शामिल हैं। ट्रिब्यूनल को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि दावेदार स्थायी विकलांगता के बावजूद कौन सी गतिविधियाँ कर सकता है और स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप वह क्या नहीं कर सकता है (यह जीवन की सुविधाएं के नुकसान की मद के तहत मुआवजा देने के लिए भी प्रासंगिक है)। दूसरा कदम दुर्घटना से पहले उसके व्यवसाय, पेशे और काम की प्रकृति और उसकी उम्र का पता लगाना है। तीसरा चरण यह पता लगाना है कि क्या (7) दावेदार किसी भी प्रकार की आजीविका कमाने में पूरी तरह से अक्षम है, या (ii) क्या स्थायी विकलांगता के बावजूद, दावेदार अभी भी उन गतिविधियों और कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकता है, जो वह पहले से जारी रखता था, या (iii) क्या उसे अपनी पिछली गतिविधियों और कार्यों का निर्वहन करने से रोका या प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन वह कुछ अन्य या कम पैमाने की गतिविधियों और कार्यों को जारी रख सकता है ताकि वह कमाता रहे या अपनी आजीविका कमाता रहे। 14. उदाहरण के लिए, यदि किसी दावेदार का बायां हाथ कट गया है, तो स्थायी शारीरिक या कार्यात्मक विकलांगता लगभग 60% आंकी जा सकती है। यदि दावेदार ड्राइवर या बढ़ई था, तो कमाई क्षमता का वास्तविक नुकसान वस्तुतः सौ प्रतिशत हो सकता है, यदि वह न तो गाड़ी चलाने में सक्षम है और न ही बढ़ईगीरी करने में सक्षम है। दूसरी ओर, यदि दावेदार सरकारी सेवा में क्लर्क था, तो उसके बाएँ हाथ की हानि के परिणामस्वरूप रोजगार की हानि नहीं हो सकती है और उसे अभी भी क्लर्क के रूप में जारी रखा जा सकता है, क्योंकि वह अपने लिपिकीय कार्य कर सकता है; और उस स्थिति में कमाई की क्षमता का नुकसान 100% नहीं होगा जैसा कि ड्राइवर या बढ़ई के मामले में होता है, न ही 60% होगा जो कि वास्तविक शारीरिक विकलांगता है, लेकिन बहुत कम होगा। वास्तव में, यदि दावेदार सरकारी सेवा में बना रहता है, तो "भविष्य की कमाई के नुकसान" के तहत कोई मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, हालांकि उसके हाथ खोने के परिणामस्वरूप सुविधाओं के नुकसान के तहत मुआवजा दिया जा सकता है। कभी - कभी घायल दावेदार को सेवा में जारी रखा जा सकता है, लेकिन अपनी विकलांगता के कारण वह उस पद या नौकरी से जुड़े कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त नहीं पाया जा सकता है, जिसे वह पहले धारण कर रहा था, और इसलिए उसे किसी अन्य उपयुक्त लेकिन कमतर पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है। कम परिलब्धियों के साथ, ऐसी स्थिति में कम अर्जन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की अर्जन क्षमता के नुकसान के मद में एक सीमित पुरस्कार होना चाहिए।

11. नागराजप्पा बनाम डिविजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2011 (13) एससीसी 323 में, ऊपरी अंग की शारीरिक विकलांगता पूरे शरीर के 22-23% के अनुपात में 68% निर्धारित की गई थी। इस अदालत ने इस प्रकार राय दी:

"9. अपीलकर्ता को लगी चोटों की प्रकृति के संबंध में डॉक्टर के सबूतों को पढ़ने पर , अपीलकर्ता को अन्य बातों के अलावा, दुर्घटना के परिणामस्वरूप निम्नलिखित विकलांगताओं से पीड़ित पाया गया- "बाएं अग्रबाहु, कलाई और हाथ की गंभीर विकृति, बाएं ऊपरी अंग की मांसपेशियों की कमजोरी और बाएं ऊपरी अंग का 1 सेमी छोटा होना"। परिणामस्वरूप, डॉक्टर ने कहा कि अपीलकर्ता कुली के रूप में काम नही कर सकता है और कोई अन्य शारीरिक काम भी नहीं कर सकता है। डॉक्टर ने ऊपरी अंग की स्थायी अवशिष्ट शारीरिक विकलांगता 68% और पूरे शरीर की 22-23% का आकलन किया।

10. अपीलकर्ता एक मैनुअल मजदूर के रूप में काम कर रहा है , जिसके लिए उसे आवश्यकता है उसके दोनों हाथों के उपयो की। तथ्य यह है कि दुर्घटना ने उसका एक हाथ बेकार कर दिया है, इससे उसकी कार्य करने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा चाहे वह कुली का काम करें या कोई अन्य शारीरिक काम, और यह डॉक्टर द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। इस प्रकार, मुआवज़ा देते समय यह ध्यान रखना होगा कि अपीलकर्ता को अपने बाएँ हाथ का पूरा उपयोग किए बिना जीवन भर शारीरिक काम करना होगा और इससे उसके काम की गुणवत्ता और उसकी क्षमता पर भी असर पड़ना तय है। उसकी विकलांगता को ध्यान में रखते हुए काम खोजें। इसलिए, भविष्य की आय के नुकसान की गणना करते समय , विकलांगता को 68% माना जाना चाहिए, न कि 20%, जैसा कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। हमारा विचार राज कुमार के अनुपात और इस तथ्य से समर्थित है कि अपीलकर्ता को कुली के रूप में अपना व्यवसाय करने में गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न हुई है और शायद हमेशा के लिए विकलांग हो गया है।"

12. उच्च न्यायालय ने केवल भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए 50,000/- रुपये की राशि देने में भी गलती की। पी0डब्लू0-3 ने बताया कि अपीलकर्ता को अपने जीवनकाल के दौरान कृत्रिम बाएं पैर के तीन और प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी। हम इसे उचित मानते हैं इसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे के अतिरिक्त 2,50,000/- रुपये तक बढ़ाया जाए। सुविधाओं के नुकसान के लिए दिए गए मुआवजे को भी 50,000/- रुपये तक बढ़ाया जाता है, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता पी0डब्ल्यू0-3 द्वारा बताए गए अनुसार सामाजिक मिश्रण से वंचित किया गया था।

श्री एंथोनी उर्फ एंथोनी स्वामी बनाम
प्रबंध निदेशक, के.एस.आर.टी.सी. इनविन सिन्हा, जे.]

13. इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे को निम्नानुसार संशोधित और पुनर्गणना किया गया है : परिवहन शुल्क के लिए 10,000/- रुपये, भविष्य के चिकित्सा व्यय के लिए 2,50,000/- रुपये व सुविधाओं के लिए 30,000/-रुपये।

14. हम उच्च न्यायालय के फैसले को तदनुसार संशोधित करते हैं, जिसका भुगतान 6 प्रति ब्याज की दर से याचिका की तारीख से वसूली तक किया जाएगा।

15. अपील की अनुमति है। दिव्या पांडे की अपील स्वीकार की गई।

पवन कुमार शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो ऐक्ट), सुलतानपुर।